न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

लगान निर्धारण अपील वाद संख्या–02/2014

योगेन्द्र प्रसाद सिंह बनाम विद्यानंद वर्मा एवं अन्य

7

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
3.8.15	**आदेश**	

अपीलार्थी योगेन्द्र प्रसाद सिंह अपील आवेदन एवं उत्तरवादी संख्या–03 अशोक वर्मा की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर एवं विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या–01/2012 में पारित आदेश का गहन अध्ययन किया तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना। उपलब्ध कागजात के अनुसार उत्तरवादी संख्या– 01 विद्यानंद वर्मा के पक्ष में ग्रामीण खतियान के आधार पर 10 धूर बेलगान भूमि का लगान निर्धारण की स्वीकृति विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के द्वारा दी गयी है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज बतातें है जिसे उत्तरवादी ने भी स्वीकार किया है।

अपीलार्थी का कहना है कि उन्हें इस वाद में निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया न ही निम्न न्यायालय द्वारा ~~न तो~~ इन्हें नोटिस दिया गया है और न सुना गया है।

उपरोक्त तथ्यों के स्पष्ट है कि जमीन का लगान ग्रामीण खतियान को आधार बनाकर निर्धारण किया गया है, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीण खतियान Authentic document नहीं होता है। कानूनन इसकी कोई मान्यता नहीं है। साथ ही तथाकथित खतियानी रैयत अर्थात अपीलार्थी को सुना भी नहीं गया है।

अतः विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या–01/2012 में पारित आदेश अवैध पाते हुए खारिज किया जाता है। साथ ही इस आदेश के साथ Remand back किया जाता है कि उभयपक्ष को नोटिस देकर विधिवत सुनवाई कर तथा स्वत्व के साथ दखल कब्जा जिस पक्ष के साथ पाया जाता है, उसके साथ विधिवत लगान निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर स्वत्व संबंधी Authentic document पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वत्व का निर्धारण हेतु पक्षकारों को सक्षम व्यवहार न्यायालय में जाने हेतु निदेर्शित किया जा सकता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस करें। एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

3/8/15   3/8/15

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।   अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

Time 12:01 PM